प्रारंभिक परीक्षा

वी.डी. सावरकर

संदर्भ

पुणे की एक विशेष अदालत ने हाल ही में 'स्वतंत्र्यवीर' उपाधि की उत्पत्ति की जांच की और स्पष्ट किया कि यह उपाधि औपचारिक सरकारी आदेश के बजाय जीवनी लेखक सदाशिव रानाडे द्वारा सर्वप्रथम प्रदान की गई थी।

वी.डी. सावरकर के बारे में

पृष्ठभूमि

- वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक और समाज सुधारक थे।
- **जन्म:** 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर में जन्म।
- **क्रांतिकारी जड़ें:** बाल गंगाधर तिलक के उग्र राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर, उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने के लिए 1899 में 'मित्र मेला' नामक एक युवा समूह का आयोजन किया।
- **इंडिया हाउस:** लंदन में अपने प्रवास के दौरान, वह इंडिया हाउस में रहे, जो यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था।

राजनीतिक योगदान और क्रांतिकारी गतिविधियाँ

- **अभिनव भारत सोसाइटी:** 1904 में, उन्होंने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की वकालत करने के लिए इस गुप्त समाज की स्थापना की।
- **गिरफ्तारी और निर्वासन:** उन्हें 1910 में नासिक षड्यंत्र मामले और इंडिया हाउस समूह की क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में लंदन में गिरफ्तार किया गया था।
- **सेलुलर जेल:** अंडमान सेलुलर जेल (काला पानी) में दो आजीवन कारावास (50 वर्ष) की सजा सुनाई गई। उन्होंने वहां एक दशक से अधिक समय (1911-1921) बिताया, जिसके बाद उन्हें मुख्य भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः 1924 में प्रतिबंधों के साथ रिहा कर दिया गया।
- **हिंदू महासभा:** उन्होंने 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने "हिंदुओं के सैन्यीकरण" पर जोर दिया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया।
- **समाज सुधार:** रत्नागिरी में प्रतिबंधित रहने के दौरान, उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ काम किया और पतित पावन मंदिर का निर्माण किया, जिसमें उस समय "अछूत" माने जाने वाले लोगों सहित सभी हिंदुओं के प्रवेश की वकालत की गई।
    - **सप्तबंदी:** जाति व्यवस्था की सात "बेड़ियों" (जैसे अंतर-भोजन, अंतर-विवाह और समुद्री यात्राओं पर प्रतिबंध) के खिलाफ उनका अभियान।

साहित्यिक कृतियाँ और विचारधारा

- **द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857:** लंदन में रहते हुए लिखी गई यह पुस्तक 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय युद्ध के रूप में पुनर्व्याख्या करने का एक अभूतपूर्व प्रयास थी।
- **एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व (1923):** उनके कारावास/नजरबंदी के दौरान लिखी गई इस कृति ने उनके राजनीतिक दर्शन को रेखांकित किया। उन्होंने "हिंदू" को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जो भारत को अपनी पितृभूमि (पितृभू) और पुण्यभूमि (पुण्यभू) मानता है।
- **द्वि-राष्ट्र सिद्धांत:** सावरकर इस विचार के शुरुआती प्रस्तावक थे कि हिंदू और मुस्लिम भारत के भीतर दो अलग-अलग राष्ट्र हैं।
- **माझी जन्मठेप (माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ):** अंडमान सेलुलर जेल में उनके भीषण अनुभवों और प्रतिरोध का एक आत्मकथात्मक विवरण।

- **कविता और नवनिर्मित शब्द:** एक विपुल कवि और भाषाविद् के रूप में, उन्हें अंग्रेजी शब्दों के लिए कई मराठी समकक्ष शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, जैसे दिग्दर्शक (डायरेक्टर) और संचालक (मैनेजर)।

जलवायु-स्वास्थ्य अंतर्संबंध (CLIMATE-HEALTH INTERSECTIONS)

संदर्भ

परोपकारी संस्था 'दासरा' द्वारा प्रकाशित 'अंडर द वेदर: इंडियाज क्लाइमेट-हेल्थ इंटरसेक्शन्स एंड पाथवेज टू रेजिलिएंस' शीर्षक वाली एक नई रिपोर्ट, भारत में जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण "स्वास्थ्य-जोखिम गुणक" (health-risk multiplier) के रूप में पहचानती है।

मुख्य निष्कर्ष

- **रोग भूगोल में परिवर्तन:**
  - **वेक्टर-जनित रोग:** बढ़ता तापमान मलेरिया और डेंगू के दायरे को शिमला, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों और हिमालय की तलहटी जैसे पहले अप्रभावित उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तारित कर रहा है।
  - **जल-जनित और गर्मी के जोखिम:** बाढ़ के कारण हैजा और हेपेटाइटिस का प्रकोप बढ़ रहा है, जबकि तीव्र लू (heatwaves) के कारण निर्जलीकरण (dehydration), हीटस्ट्रोक और हृदय संबंधी तनाव के मामले बढ़ रहे हैं।
- **मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - **असमय जन्म (Preterm Births):** अत्यधिक गर्मी के संपर्क को असमय जन्म की संभावना में 16% की वृद्धि से जोड़ा गया है, जिसमें तापमान में प्रत्येक 1°C की वृद्धि के साथ जोखिम बढ़ता जाता है।
  - **गर्भावस्था की जटिलताएँ:** PM2.5 वायु प्रदूषण का उच्च स्तर 'प्री-एक्लेम्पसिया' जैसे उच्च रक्तचाप संबंधी विकारों और गर्भकालीन रक्तचाप में वृद्धि से जुड़ा है।
  - **शिशु संवेदनशीलता:** शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता के कारण शिशुओं को श्वसन रोगों और निर्जलीकरण का अधिक खतरा होता है।
- **आर्थिक और श्रम व्यवधान:** भारत ने केवल 2021 में अत्यधिक गर्मी के संपर्क के कारण अनुमानित 160 बिलियन श्रम घंटे खो दिए।
  - इसका बोझ अनौपचारिक और बाहरी श्रमिकों, ग्रामीण आबादी और महिलाओं पर असमान रूप से पड़ता है, जिससे मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताएं गहरी होती हैं।
- **प्रणालीगत स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियां:** जलवायु आपदाएं भौतिक रूप से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती हैं और आवश्यक दवाओं तथा टीकों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं।
  - हालांकि 'जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAPCCHH) और स्थानीय 'हीट एक्शन प्लान' जैसे पहल सकारात्मक कदम हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं।
  - इनमें स्थानीयकृत, पृथकीकृत डेटा की कमी और वित्त पोषण का अंतर शामिल है, जहाँ निवेश स्वास्थ्य-केंद्रित अनुकूलन (adaptation) के बजाय शमन (mitigation) की ओर झुका हुआ है।

स्थायी परमाणु अपशिष्ट निपटान

संदर्भ

फिनलैंड उच्च-स्तरीय प्रयुक्त परमाणु ईंधन के स्थायी निपटान के लिए 'डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी' (DGR - गहन भूगर्भीय भंडार) को संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है।

ओन्कालो (Onkalo) के बारे में

- ओन्कालो (फिनिश भाषा में जिसका अर्थ "गुफा" है) नाम की यह सुविधा ओल्किलुओटो द्वीप पर भूमिगत 430 मीटर की गहराई पर स्थित है।
- इस स्थल को इसके मिग्माटाइट-नीस आधारशैल (bedrock) के लिए चुना गया था, जो लगभग 1.9 बिलियन वर्ष पुराना है।
- यह चट्टान उच्च भूकंपीय स्थिरता और अत्यंत कम पारगम्यता (permeability) की विशेषता वाली है।

परमाणु अपशिष्ट निपटान के लिए वर्तमान वैश्विक परिदृश्य

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन और निपटान के लिए वैश्विक सुरक्षा मानक निर्धारित करती है।
- अधिकांश देश वर्तमान में अस्थायी भंडारण का उपयोग करते हैं:
    - **आर्द्र भंडारण (Wet Storage):** व्यक्तिगत रिएक्टर साइटों पर प्रयुक्त ईंधन पूल।
    - **शुष्क कास्क भंडारण (Dry Cask Storage):** जमीन के ऊपर रखे कंक्रीट और स्टील के कंटेनर।
- **स्वीडन:** फोर्समार्क में एक रिपोजिटरी का निर्माण शुरू हो गया है, जिसके 2030 के दशक के उत्तरार्ध में खुलने की उम्मीद है।
- **फ्रांस:** 'सिजेओ' (Cigéo) परियोजना गहन भूगर्भीय निपटान के लिए नियोजित है, लेकिन इसे निरंतर सार्वजनिक और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
- **पुनर्चक्रण (Recycling):** वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त ईंधन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा प्लूटोनियम और यूरेनियम निकालने के लिए पुनर्चक्रित किया जाता है, हालांकि यह प्रक्रिया जटिल है और इसके बाद भी उच्च-स्तरीय अपशिष्ट शेष रह जाता है।

प्रयुक्त परमाणु ईंधन: परमाणु रिएक्टर में विकिरणित हो चुका वह ईंधन जो अब बिजली उत्पादन के लिए कुशल नहीं है, लेकिन फिर भी अत्यधिक रेडियोधर्मी बना रहता है।
उच्च स्तरीय अपशिष्ट (एचएलडब्ल्यू): परमाणु रिएक्टरों के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाओं के उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ।

अंतरिक्ष यात्री पुनः प्रवेश (RE-ENTRY) के दौरान कैसे जीवित रहते हैं

संदर्भ

- गगनयान मिशन के तहत, भारतीय अंतरिक्ष यात्री लगभग 7.8 किमी/सेकेंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और उन्हें नियंत्रित वायुमंडलीय पुनः प्रवेश और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में उतरने (splashdown) के माध्यम से सुरक्षित रूप से वापस आना चाहिए, जिसे भारतीय नौसेना की रिकवरी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

वायुमंडलीय पुनः प्रवेश (Atmospheric Re-entry) में समस्याएँ

पुनः प्रवेश वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से जटिल है क्योंकि एक अंतरिक्ष यान को कुछ ही मिनटों के भीतर विशाल कक्षीय ऊर्जा को सुरक्षित रूप से कम करना होता है। इसमें शामिल प्रमुख मुद्दे हैं:

- **अत्यधिक ताप :** हाइपरसोनिक पुनः प्रवेश वायु संपीड़न (air compression) से तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करता है (जैसे, 7.8 किमी/सेकेंड की गति ~1,500–3,000°C ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके लिए तापीय सुरक्षा प्रणालियों (Thermal Protection Systems) की आवश्यकता होती है)।
- **संकीर्ण पुनः प्रवेश गलियारा:** अंतरिक्ष यान को एक सटीक कोण के भीतर वायुमंडल में प्रवेश करना चाहिए (जैसे, बहुत उथला कोण ⟶ अंतरिक्ष में वापस उछल जाना; बहुत तीव्र कोण ⟶ अत्यधिक ताप और विनाश)।

- **उच्च मंदन (High Deceleration - G-Forces):** वायुमंडलीय खिंचाव (drag) के कारण तीव्र मंदन होता है जो अंतरिक्ष यात्रियों पर दबाव डालता है (जैसे, पुनः प्रवेश के दौरान 3-8 G)।
- **संचार विच्छेद:** कैप्सूल के चारों ओर आयनित प्लाज्मा रेडियो संकेतों को अस्थायी रूप से बाधित कर देता है (जैसे, प्लाज्मा शीथ के कारण ग्राउंड कंट्रोल के साथ सिग्नल का नुकसान)।
- **मार्गदर्शन और स्टीयरिंग सीमाएँ:** स्थिरता के लिए पुनः प्रवेश हेतु नियंत्रित अर्ध-बैलिस्टिक (semi-ballistic) वंश की आवश्यकता होती है (जैसे, गुरुत्वाकर्षण केंद्र नियंत्रण और थ्रस्टर्स द्वारा सीमित

लिफ्ट उत्पन्न करना)।

- **लैंडिंग अनिश्चितता:** वायुमंडलीय घनत्व में उतार-चढ़ाव और हवा के पैटर्न बड़े लैंडिंग फुटप्रिंट बनाते हैं, जिससे रिकवरी संचालन जटिल हो जाता है।
- **सुरक्षित लैंडिंग प्रणाली:** अंतिम अवतरण विश्वसनीय ब्रेकिंग सिस्टम पर निर्भर करता है (जैसे, जमीन या समुद्र में उतरने से पहले पैराशूट की तैनाती)।

गगनयान क्रू मॉड्यूल पुनः प्रवेश कैसे करेगा

भारत का गगनयान मिशन नियंत्रित, अर्ध-बैलिस्टिक पुनः प्रवेश के लिए डिज़ाइन किए गए कैप्सूल-आधारित आर्किटेक्चर का उपयोग करता है।

- **गलियारे के भीतर नियंत्रित पुनः प्रवेश:** क्रू मॉड्यूल सुरक्षित पुनः प्रवेश गलियारे के भीतर वायुमंडल में प्रवेश करता है, और सावधानीपूर्वक ओवरशूट और अंडरशूट सीमाओं से बचता है।
- **वायुमंडलीय खिंचाव ब्रेकिंग (Atmospheric drag braking):** पुनः प्रवेश के दौरान मॉड्यूल 'एयरोब्रेकिंग' के माध्यम से अपनी अधिकांश गति खो देता है, जहाँ वायुमंडल के साथ घर्षण गतिज ऊर्जा (~7,800 मीटर/सेकेंड कक्षीय गति) को समाप्त कर देता है।
- **तापीय सुरक्षा प्रणाली (Thermal Protection System):** एक अपक्षयी ताप ढाल (ablative heat shield) तापीय ऊर्जा को अवशोषित करके और उसे बाहर ले जाकर क्रू मॉड्यूल को अत्यधिक ताप से बचाती है।
    - अपक्षयी प्रणालियों में, बाहरी सामग्री पुनः प्रवेश के दौरान धीरे-धीरे जलती और नष्ट होती है। यह प्रक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करती है और उसे दूर ले जाती है।
- **प्लाज्मा ब्लैकआउट चरण:** चरम ताप के दौरान, एक प्लाज्मा शीथ बनता है, जिससे कैप्सूल की गति धीमी होने तक अस्थायी संचार विच्छेद हो जाता है।
- **तीन-चरणीय पैराशूट तैनाती:** कैप्सूल को स्थिर और धीमा करने के लिए सबसे पहले 'ड्रोग पैराशूट' (Drogue Parachutes) तैनात किए जाते हैं। मुख्य पैराशूट अवतरण की गति को काफी कम कर देते हैं। कैप्सूल बंगाल की खाड़ी में नियंत्रित 'स्पलैशडाउन' करता है।
    - पैराशूट पानी में उतरने से पहले कैप्सूल को ~7-9 मीटर/सेकेंड तक धीमा कर देते हैं, जो सुरक्षित है क्योंकि पानी प्रभाव ऊर्जा (impact energy) को अवशोषित कर लेता है।
- **समुद्र में लैंडिंग (Ocean splashdown):** भारत बंगाल की खाड़ी में समुद्र में लैंडिंग (अपोलो कार्यक्रम कैप्सूल के समान) का उपयोग करता है क्योंकि देश में सोयुज अंतरिक्ष यान द्वारा उपयोग किए जाने वाले बड़े रेगिस्तानी लैंडिंग क्षेत्रों का अभाव है।
- **अंडाकार लैंडिंग क्षेत्र (Elliptical landing area):** पुनः प्रवेश एक बड़े लैंडिंग दीर्घवृत्त (ellipse) को लक्षित करता है, क्योंकि हाइपरसोनिक गति पर छोटे वायुमंडलीय परिवर्तन लैंडिंग बिंदु को उड़ान पथ के साथ सैकड़ों किलोमीटर तक खिसका सकते हैं।

क्यूबा में संकट

संदर्भ

- क्यूबा पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिबंध आधुनिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रतिबंध तंत्रों में से एक है; तेल शिपमेंट प्रतिबंधों और वित्तीय प्रतिबंधों सहित हाल के उपायों ने क्यूबा में गंभीर संकट पैदा कर दिया है।

क्यूबा पर अमेरिकी नाकाबंदी (Blockade)

- **क्यूबा क्रांति के बाद उत्पत्ति:** फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में 1959 की क्यूबा क्रांति के बाद, क्यूबा ने अमेरिकी स्वामित्व वाली संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके कारण वाशिंगटन ने 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के तहत आर्थिक प्रतिबंध और पूर्ण नाकाबंदी लागू कर दी।
- **प्रतिबंधों का कानूनी ढांचा:** कई अमेरिकी कानूनों ने इस प्रतिबंध को संस्थागत रूप दिया:
    - **क्यूबन डेमोक्रेसी एक्ट (टॉरिसेली एक्ट, 1992)** – विदेश में अमेरिकी फर्मों की सहायक कंपनियों के साथ व्यापार प्रतिबंधित किया।

- **हेल्म्स-बर्टन एक्ट (1996)** – क्यूबा में जब्त की गई अमेरिकी संपत्ति में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को दंडित करके प्रतिबंधों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया।
- **ट्रम्प-युग के प्रतिबंधों का विस्तार** – पर्यटन, प्रेषण (remittances) और वित्तीय प्रवाह को लक्षित करने वाले 240 से अधिक अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक उपाय।

- **वित्तीय और व्यापार प्रतिबंध:** क्यूबा को डॉलर लेनदेन, वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क तक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट संस्थानों (जैसे, आईएमएफ, विश्व बैंक वित्तपोषण तक सीमित पहुंच) पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- **ऊर्जा और आपूर्ति बाधाएं:** तेल शिपमेंट और टैंकर पहुंच को लक्षित करने वाले हालिया प्रतिबंधों ने ऊर्जा की कमी को तीव्र कर दिया है; (क्यूबा अपनी तेल मांग का केवल ~20% उत्पादन करता है)।
- **वाह्येतर प्रतिबंध (Extraterritorial Sanctions):** यह प्रतिबंध क्यूबा के साथ व्यापार करने वाली तीसरे देश की फर्मों को दंडित करता है, जिससे विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सहयोग हतोत्साहित होता है।

अमेरिकी नाकाबंदी का प्रभाव

- **आर्थिक संकुचन:** व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी पहुंच को सीमित करता है ⟶ विकास और निवेश को बाधित करता है।
- **ऊर्जा संकट:** तेल आपूर्ति प्रतिबंध ⟶ बिजली की कमी और बार-बार ग्रिड विफलता।
- **स्वास्थ्य सेवा पर दबाव:** आयात बाधाएं और बिजली की कमी ⟶ सर्जरी और दवा की आपूर्ति में देरी।
- **पर्यटन में गिरावट:** यात्रा प्रतिबंधों ने आगंतुकों की संख्या कम कर दी (~50 लाख ⟶ ~22 लाख), जिससे विदेशी मुद्रा आय कमजोर हुई।
- **कृषि पर प्रभाव:** ईंधन की कमी सिंचाई और मशीनीकरण को प्रभावित करती है ⟶ कृषि भूमि का कम उपयोग।
- **प्रवासन का दबाव:** आर्थिक तंगी बाहरी प्रवासन (मुख्य रूप से अमेरिका और लैटिन अमेरिका की ओर) को बढ़ाती है।

नाकाबंदी पर अलग-अलग दृष्टिकोण

यू.एस. का दृष्टिकोण	क्यूबा का दृष्टिकोण
राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव: प्रतिबंधों का उद्देश्य क्यूबा में लोकतांत्रिक सुधारों और शासन परिवर्तन को बढ़ावा देना है।	**संप्रभुता का उल्लंघन:** क्यूबा का तर्क है कि प्रतिबंध उसकी राजनीतिक व्यवस्था और स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास करते हैं।
मानवाधिकार चिंताएं: वाशिंगटन क्यूबा में राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का हवाला देता है।	**आर्थिक जबरदस्ती:** हवाना इस प्रतिबंध को नागरिकों को प्रभावित करने वाली सामूहिक सजा के रूप में वर्णित करता है।
शीत युद्ध की विरासत: शुरू में पश्चिमी गोलार्ध में सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने के लिए लगाया गया था।	**साम्राज्यवादी निरंतरता:** इसे लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभुत्व (मुनरो सिद्धांत से जुड़ा) की निरंतरता के रूप में देखा जाता है।
सुरक्षा चिंताएं: अमेरिकी नीति निर्माताओं का तर्क है कि क्यूबा प्रतिकूल शासनों (ऐतिहासिक रूप से यूएसएसआर, वेनेजुएला) का समर्थन करता है।	**आत्मनिर्णय का अधिकार:** क्यूबा अपनी नीतियों को अमेरिकी प्रभाव से स्वतंत्र संप्रभु विकल्पों के रूप में पेश करता है।
घरेलू राजनीतिक कारक: अमेरिकी राजनीति (विशेष रूप से फ्लोरिडा में) में क्यूबाई-अमेरिकी निर्वासित समुदाय का प्रभाव।	**नीति का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव:** संयुक्त राष्ट्र महासभा बार-बार भारी बहुमत से प्रतिबंध के खिलाफ मतदान करती है।

'ग्लोबल साउथ' के राष्ट्र के रूप में क्यूबा

- **ग्लोबल साउथ सहयोग का चैंपियन:** क्यूबा सक्रिय रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग का समर्थन करता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत में।
- **चिकित्सा कूटनीति:** क्यूबा ने विश्व स्तर पर हजारों डॉक्टरों को तैनात किया है (जैसे, पश्चिम अफ्रीका में इबोला प्रतिक्रिया; महामारी चिकित्सा मिशन)।
- **जैव प्रौद्योगिकी नेतृत्व:** सीमित संसाधनों के बावजूद, क्यूबा ने घरेलू टीके और जैव प्रौद्योगिकी नवाचार विकसित किए (जैसे, अब्दाला COVID-19 वैक्सीन)।
- **दक्षिण-दक्षिण एकजुटता नेटवर्क:** क्यूबा वेनेजुएला, मैक्सिको और अन्य लैटिन अमेरिकी राज्यों जैसे देशों के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखता है, जिसमें तेल-के-बदले-सेवा सहयोग कार्यक्रम शामिल हैं।
- **बहुपक्षीय मंचों में वकालत:** क्यूबा अक्सर संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल साउथ संस्थानों के भीतर संप्रभुता, गैर-हस्तक्षेप और आर्थिक न्याय की वकालत करता है।

भारत में पहली क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज (QRFS)

संदर्भ

- भारत की पहली क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज (QRFs) आंध्र प्रदेश में 'अमरावती क्वांटम वैली' कार्यक्रम के तहत शुरू की जा रही हैं, जो 100-क्यूबिट तक की क्वांटम प्रक्रियाओं का परीक्षण करने में सक्षम हैं।

क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज के बारे में

- **अवधारणा:** क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक परीक्षण स्थल (testing bed) है।
  - यह क्यूबिट्स, क्रायोजेनिक सिस्टम, नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम एल्गोरिदम जैसे घटकों का परीक्षण करती है।
- **उद्देश्य:** वास्तविक क्वांटम कंप्यूटरों में तैनाती से पहले क्वांटम प्रौद्योगिकियों को मान्य (validate) करने के लिए एक बेंचमार्क वातावरण प्रदान करती है।
- **बुनियादी ढांचा:** ये सुविधाएं क्वांटम कंप्यूटिंग स्टैक के प्रमुख तत्वों को एकीकृत करती हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - क्यूबिट प्रोसेसर
  - क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम
  - माइक्रोवेव नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स
  - क्वांटम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म।
- **अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र:** एसआरएम विश्वविद्यालय, अमरावती क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी, क्यूबिट फोर्स और भारतीय अनुसंधान संस्थानों (TIFR, IISc, DRDO) के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित।
- **हार्डवेयर पर ध्यान:** भारत पहले विदेशी क्वांटम हार्डवेयर पहुंच (आईबीएम, गूगल क्लाउड क्वांटम सिस्टम) पर निर्भर था; QRF घरेलू परीक्षण और हार्डवेयर विकास को सक्षम बनाता है।
- **क्यूबिट क्षमता:** अमरावती सुविधा को 100 क्यूबिट तक के परीक्षण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो शुरुआती व्यावहारिक क्वांटम अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक पैमाने के करीब है।
- **क्वांटम वैली पहल:** यह अमरावती क्वांटम वैली कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज का महत्व

- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को गति देना:** भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023 में शुरू किया गया ₹6000 करोड़ का कार्यक्रम) का समर्थन करता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग और सामग्री विज्ञान में प्रगति का लक्ष्य रखता है।
- **रणनीतिक प्रौद्योगिकी क्षमता:** क्वांटम प्रौद्योगिकियों के साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, रक्षा प्रणालियों और सुरक्षित संचार के लिए प्रमुख निहितार्थ हैं।

- **उन्नत अनुसंधान अनुप्रयोग:** क्वांटम कंप्यूटर निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रांति ला सकते हैं:
    - औषधि खोज (drug discovery) और आणविक सिमुलेशन
    - इष्टतमीकरण (optimisation) की समस्याएं
    - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग
    - जलवायु मॉडलिंग और सामग्री विज्ञान।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC)

संदर्भ

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) जनजातीय सशक्तिकरण की एक चौथाई सदी पूरी होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है।

पृष्ठभूमि

- NSTFDC भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। यह विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान और वित्तीय समावेशन के लिए समर्पित सर्वोच्च राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है।
- **स्थापना:** निगम की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी।
- **उद्देश्य:** NSTFDC का प्राथमिक लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों को आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन प्रदान करके उनके आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की संरचना

- निगम का प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (SCA), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED) के प्रतिनिधि और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं।

महत्वपूर्ण कार्य

- **रियायती वित्तीय सहायता:** अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और समूहों को छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने में मदद करने के लिए कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करना।
- **आजीविका संवर्धन:** टिकाऊ स्थानीय रोजगार सृजित करने के लिए हस्तशिल्प, पोल्ट्री, डेयरी, मत्स्य पालन, खुदरा और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को वित्तपोषित करना।
- **संसाधनों का दिशा-निर्धारण:** राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) के माध्यम से कार्य करना ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय सहायता दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों तक पहुंचे।
- **उद्यमिता सहायता:** जनजातीय युवाओं और महिलाओं को पारंपरिक श्रम से स्वतंत्र व्यवसाय स्वामित्व की ओर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करना।
- **क्षमता निर्माण:** संरचित वित्तीय योजनाओं और मार्गदर्शन के माध्यम से लाभार्थियों को टिकाऊ उद्यम स्थापित करने में सहायता करना।

कौशल परिणाम निधि(SKILLS OUTCOMES FUND)

संदर्भ

भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री ने कौशल परिणाम निधि स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

कौशल परिणाम निधि के बारे में

- यह कम आय वाले पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए आकांक्षात्मक आजीविका के अवसर खोलने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली पहल है।

- यह फंड भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में परिणाम-आधारित वित्तपोषण (OBF) को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी पूंजी जुटाने की परिकल्पना करता है, जो निवेश को सीधे सत्यापित रोजगार परिणामों से जोड़ता है।
- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा गैर-लाभकारी और परोपकारी संगठनों/हितधारकों के साथ साझेदारी में संचालित किया जाएगा।
- यह 2021 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा शुरू की गई भारत की पहली परिणाम-आधारित पहल, 'स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड' की सफलता पर आधारित होगा।
- इस फंड का एक प्रमुख नवाचार इसका नियोक्ता-नेतृत्व वाला, मांग-संचालित कौशल मॉडल है, जो उद्योग की जरूरतों के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित उच्च-विकास क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे:
    - आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएं (IT-ITeS)
    - बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI)
    - ऑटोमोटिव और विनिर्माण
    - स्वास्थ्य सेवा
    - लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला
    - इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर
    - हरित नौकरियां (Green jobs) और स्थिरता क्षेत्र

निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE - IFR)

यह क्या है

IFR एक अतिरिक्त बफर/आरक्षित निधि है जिसे बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट (ह्रास) से खुद को बचाने के लिए बनाए रखना आवश्यक होता है, विशेष रूप से तब जब ब्याज दरें बढ़ती हैं (क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं)।

यह काम किस प्रकार करता है

बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियों और बांडों का बड़ा पोर्टफोलियो होता है। ब्याज दरें बढ़ने पर इन निवेशों का मार्क-टू-मार्केट (MTM) मूल्य गिर जाता है, जिससे कागजों पर नुकसान होता है। IFR ऐसे नुकसानों से बचाव का काम करता है।

RBI का 2026 परिवर्तन

RBI ने अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों के लिए IFR की आवश्यकता को समाप्त करने (हटाने) का प्रस्ताव दिया है क्योंकि:

- बैंक पहले से ही बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क (capital charge) बनाए रखते हैं।
- वे निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर संशोधित मानदंडों का पहले से ही पालन करते हैं। इसलिए इन बैंकों के लिए IFR फालतू (redundant) हो गया था।

मियादी मुद्रा बाजार (TERM MONEY MARKET)

यह क्या है

मियादी मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार का एक खंड है जहां निधियां रातों-रात (overnight) से अधिक की एक निश्चित अवधि के लिए उधार ली और दी जाती हैं - जो आमतौर पर 2 दिन से 1 वर्ष तक होती हैं। यह रातों-रात के बाजार (जैसे कॉल मनी मार्केट) से अलग है।

वर्तमान स्थिति (RBI के 2026 परिवर्तन से पहले):

केवल बैंकों और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलरों (PDs) को ही उधार लेने की विवेकपूर्ण सीमाओं के साथ भाग लेने की अनुमति थी।

RBI का 2026 परिवर्तन, दो प्रमुख निर्णय:

गैर-बैंक संस्थाओं को शामिल करने के लिए प्रतिभागी आधार का विस्तार करना:

- AIFIs (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, एक्जिम बैंक)
- NBFCs (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित)

सामान्य कंपनियां:

- स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलरों के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ाना।

मुख्य परीक्षा

जन विश्वास विधेयक, 2026

संदर्भ

जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक को हाल ही में संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। यह विधेयक एक अत्यधिक दंडात्मक कानूनी ढांचे से हटकर एक ऐसे ढांचे की ओर स्पष्ट बदलाव का प्रतीक है जो विश्वास, आनुपातिकता और व्यापार करने में सुगमता पर बल देता है।

जन विश्वास विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **गैर-अपराधीकरण (Decriminalisation):** कई अपराधों को कारावास के बजाय मौद्रिक दंड के साथ नागरिक उल्लंघनों (civil violations) में परिवर्तित किया गया है।
    - यह 79 केंद्रीय अधिनियमों में फैले 717 प्रावधानों को अपराध-मुक्त करता है।
- **जेल की शर्तों को हटाना:** कुछ मामलों में, कारावास को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसकी सीमा अक्सर उच्च रखी गई है।
    - इसका मुख्य उद्देश्य मामूली, गैर-गंभीर अपराधों के लिए आपराधिक दंड को समाप्त करना और उन्हें नागरिक या प्रशासनिक कार्रवाइयों से बदलना है।
- **मामूली अपराधों को हटाना:** कुछ पुराने या तुच्छ अपराधों को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
- **संशोधित दंड:** मौद्रिक जुर्माने को अद्यतन किया गया है और उन्हें समय-समय पर बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- **क्रमबद्ध प्रवर्तन:** शुरुआती उल्लंघनों पर परामर्श (advisories) या चेतावनी दी जा सकती है, और बार-बार अनुपालन न करने पर दंड लगाया जाएगा।
- **सुधार नोटिस:** कुछ क्षेत्रों में पहली बार किए गए उल्लंघनों के लिए दंड लगाने से पहले सुधार के लिए समय दिया जाता है।
- **एमएसएमई (MSMEs) के लिए सुगमता:** दंड से पहले चेतावनी और परामर्श जैसे उपायों के माध्यम से व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए अनुपालन को आसान बनाया गया है।
- **अधिनिर्णयन तंत्र (Adjudication mechanism):** नामित अधिकारी दंड का निर्धारण करते हैं, और समीक्षा के लिए अपीलीय प्राधिकरण उपलब्ध होते हैं।
- **कर सुधार (NDMC):** संपत्ति कर को स्पष्ट घटकों में सुव्यवस्थित किया गया है, जिसे मूल्यांकन और शिकायत निवारण समितियों का समर्थन प्राप्त है।
- **दंड संशोधन नियम:** जहाँ कानून पहले से ही संशोधन विधियों को निर्दिष्ट करते हैं, वे प्रावधान लागू रहेंगे।
    - यह रोजमर्रा के शासन में सुधार के लिए भी सुधार पेश करता है, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 जैसे कानूनों में बदलाव शामिल हैं।

विधेयक का महत्व

- **व्यापारिक परिवेश को बढ़ावा:** नियामक बोझ को कम करता है, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए।
- **कम कानूनी लागत:** तीव्र, प्रशासनिक समाधान मुकदमेबाजी के खर्चों को कम करता है।
- **न्यायिक राहत:** अदालतों में मामूली मामलों के बैकलॉग (लंबित मामलों) को कम करने में मदद करता है।
- **जीवन की सुगमता (Ease of living):** लाइसेंस के लिए अनुग्रह अवधि (grace periods) और मुआवजे के दावों के लिए विस्तारित समयसीमा जैसे नागरिक-अनुकूल उपाय पेश करता है।
- **सरलीकृत प्रणालियाँ:** कराधान जैसे क्षेत्रों में स्पष्टता और पारदर्शिता लाता है।

संबंधित चुनौतियाँ

- **व्यापार करने की लागत का मुद्दा:** बड़ी कंपनियाँ जुर्माने को नियमित खर्च मान सकती हैं। यदि दंड वहन करने योग्य है, तो उल्लंघन जारी रह सकते हैं, जिससे गैर-अनुपालन एक गणनाबद्ध व्यावसायिक निर्णय बन सकता है।
- **प्रशासनिक बोझ:** मामलों को अदालतों से सरकारी विभागों में स्थानांतरित करने से पहले से ही कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों पर दबाव बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप देरी और लंबित मामलों का संचय हो सकता है।
- **सीमित कानूनी विशेषज्ञता:** अधिनिर्णायक अधिकारी आमतौर पर नौकरशाह होते हैं जिनके पास औपचारिक कानूनी प्रशिक्षण नहीं होता है। यह निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उचित अनुप्रयोग पर चिंता उत्पन्न करता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम:** दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों जैसे क्षेत्रों में दंड में ढील देने से लापरवाही को बढ़ावा मिल सकता है। यदि केवल मौद्रिक दंड लगाया जाता है, तो व्यवसाय सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं।
- **कानूनों में विसंगति:** विभिन्न कानूनों के तहत समान अपराधों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। एकरूपता की यह कमी भ्रम और अनुचित व्यवहार की धारणा पैदा कर सकती है।
- **कमजोर अधिनिर्णयन ढांचा:** कुछ मामलों में, कानून स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि अपील कैसे की जा सकती है। इससे व्यक्तियों के लिए दंड को चुनौती देना कठिन हो जाता है।
- **दुरुपयोग की चिंताएं:** कुछ मामलों में भूतलक्षी प्रभाव (retrospective application) के आरोपों ने निष्पक्षता पर संदेह पैदा किया है, जिससे सार्वजनिक विश्वास कम हो सकता है।

आगे की राह

- **अधिकारियों के लिए कानूनी प्रशिक्षण:** निष्पक्ष और सुसंगत निर्णय सुनिश्चित करने के लिए अधिनिर्णायक अधिकारियों को बुनियादी कानूनी सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **डिजिटलीकरण और पारदर्शिता:** प्रौद्योगिकी और फेसलेस प्रणालियों का उपयोग विवेकाधिकार को कम कर सकता है, पारदर्शिता में सुधार कर सकता है और भ्रष्टाचार को सीमित कर सकता है।
- **सुधार-उन्मुख दंड:** मामूली अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा जैसे विकल्प पेश करें, जो मौद्रिक जुर्माने से परे जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- **आनुपातिक दंड:** संस्थाओं के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने को व्यवसाय के आकार और क्षमता से जोड़ा जाना चाहिए।
- **कानूनों में सामंजस्य:** एक सुसंगत नियामक वातावरण बनाने और व्यापार सुगमता में सुधार के लिए राज्यों को अपने कानूनों को केंद्र के साथ संरेखित करना चाहिए।

एआई और कॉपीराइट: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेखकत्व पर स्पष्टता मांगी

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट कार्यालय से यह तय करने को कहा है कि क्या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रणाली को किसी कलाकृति के एकमात्र लेखक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यह मामला एक एआई-जनित पेंटिंग से संबंधित है और रचनात्मक कार्यों के स्वामित्व के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न उठाता है।

मामले के बारे में

- **अदालत के समक्ष मुद्दा:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट कार्यालय से यह तय करने को कहा है कि क्या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रणाली को किसी कलाकृति के एकमात्र लेखक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यह मशीन-जनित सामग्री के स्वामित्व पर प्रश्न उठाता है।
- **एआई शोधकर्ता द्वारा आवेदन:** स्टीफन थेलर ने अपने एआई सिस्टम DABUS द्वारा बनाई गई एक कलाकृति के लिए कॉपीराइट का आवेदन किया, यह दावा करते हुए कि एआई ने मानवीय इनपुट के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य उत्पन्न किया।

- **शामिल कानूनी ढांचा:** कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत, लेखकत्व पारंपरिक रूप से केवल मनुष्यों को दिया जाता है, जिससे यह मामला मौजूदा कानूनी परिभाषाओं की परीक्षा बन गया है।
- **भारत में पिछला अभ्यास:** एक पिछले उदाहरण में, एआई को सह-लेखक (एकमात्र लेखक नहीं) के रूप में मान्यता दी गई थी, जो कुछ लचीलेपन का संकेत देता है लेकिन एआई लेखकत्व की पूर्ण कानूनी मान्यता नहीं है।

प्रमुख चिंताएं

- **लेखकत्व की अस्पष्ट परिभाषा:** वर्तमान कानून स्पष्ट रूप से यह संबोधित नहीं करते हैं कि क्या एआई जैसी गैर-मानवीय इकाई को लेखक माना जा सकता है, जिससे कानूनी अस्पष्टता पैदा होती है।
- **स्वामित्व और अधिकार के मुद्दे:** यदि एआई को लेखक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि स्वामित्व डेवलपर, उपयोगकर्ता या एआई के पीछे के संगठन के पास होना चाहिए।
- **जवाबदेही की चुनौतियां:** एआई को लेखक के रूप में मान्यता देना कॉपीराइट उल्लंघन या दुरुपयोग के मामलों में जिम्मेदारी के बारे में प्रश्न उठाता है।
- **मानव रचनात्मकता पर प्रभाव:** एआई को लेखकत्व प्रदान करने से रचनात्मक क्षेत्रों में मानवीय प्रयास और मौलिकता का महत्व कम हो सकता है।
- **दृष्टिकोण में वैश्विक अंतर:** विभिन्न देश अलग-अलग मानकों का पालन करते हैं, जिससे एआई-जनित कार्यों की सीमा-पार मान्यता में अनिश्चितता पैदा होती है।

आगे की राह

- **कानूनी परिभाषाओं को स्पष्ट करना:** अस्पष्टता को दूर करने के लिए कानूनों को एआई-जनित कार्यों के संदर्भ में लेखकत्व और स्वामित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
- **एआई निर्माण में मानवीय भूमिका को पहचानना:** कॉपीराइट को उस व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है जो एआई को डिजाइन, नियंत्रित या उपयोग करता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- **संतुलित नियम विकसित करना:** नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो एआई में नवाचार को प्रोत्साहित करें और साथ ही मानव रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा भी करें।
- **जवाबदेही तंत्र सुनिश्चित करना:** कानूनी प्रावधानों को एआई-जनित सामग्री से जुड़े दुरुपयोग या उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय करनी चाहिए।
- **वैश्विक प्रथाओं से सीखना:** भारत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों का अध्ययन कर सकता है और एक उपयुक्त ढांचा अपना सकता है जो उसकी कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली और जम्मू और कश्मीर से तुलना

संदर्भ

पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है जिसकी शासन प्रणाली विशिष्ट है, क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण में होने के बावजूद यहाँ एक निर्वाचित विधानसभा और एक मुख्यमंत्री है। यह इसे दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के साथ खड़ा करता है, जहाँ विधानसभाएँ भी हैं, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेशों में अपवाद बन जाता है।

भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन

- केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के भाग VIII (अनुच्छेद 239-242) के तहत प्रशासित किया जाता है।
- राष्ट्रपति नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से उन पर शासन करता है।
- पुडुचेरी के विपरीत, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित विधायिका नहीं हैं।

केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के बीच तुलना

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी	केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर
• पुडुचेरी को उसके ऐतिहासिक	**कानूनी ढांचा और शक्तियां**	**पृष्ठभूमि और संरचना**

पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के माध्यम से एक विधान सभा प्रदान की गई थी।

- **यह क्षेत्र 1956 की संधि के माध्यम से फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त हुआ था, जिसे 1962 में औपचारिक कानूनी स्वीकृति मिली थी, हालांकि 1954 से भारत का इस पर प्रशासनिक नियंत्रण था।**
- इसकी प्रणाली फ्रांसीसी शासन के दौरान प्रचलित प्रतिनिधि शासन की परंपरा को जारी रखती है।
- **अनुच्छेद 239A पुडुचेरी को एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद प्रदान करता है।**
- राष्ट्रपति विधानमंडल के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो राजनीतिक परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

- दिल्ली को अपना दर्जा 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1991 (अनुच्छेद 239AA) से प्राप्त हुआ है।
- **इसकी विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अधिकांश राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।**
- पुडुचेरी में इस प्रकार के स्पष्ट विषय प्रतिबंध नहीं हैं, लेकिन यह संसद के सर्वोच्च अधिकार के अधीन है।

उपराज्यपाल (एलजी) की भूमिका

- दिल्ली में, एलजी को स्पष्ट रूप से परिभाषित विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके कारण अक्सर निर्वाचित सरकार के साथ टकराव होता है।
- पुडुचेरी में, ये शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय (2019) ने माना कि एलजी को सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय दुर्लभ परिस्थितियों के।

नियंत्रण की प्रकृति

- दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षण अधिक मजबूत है और प्रशासनिक शक्तियों को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं।
- पुडुचेरी में निर्वाचित सरकार को अपेक्षाकृत अधिक दैनिक कामकाज की अनुमति है।

- **जम्मू-कश्मीर 2019 में पुनर्गठन के बाद विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बन गया।**
- हालांकि, **लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया था।**

विधायी शक्तियां

- जम्मू-कश्मीर विधानसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस जैसे प्रमुख क्षेत्र उपराज्यपाल के नियंत्रण में रहते हैं।
- पुडुचेरी में इस तरह के कम प्रत्यक्ष प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।

एलजी की भूमिका

- जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल के पास प्रशासन और सेवाओं पर नियंत्रण सहित महत्वपूर्ण अधिकार हैं।
- वित्तीय निर्णयों के लिए कई मामलों में एलजी की पूर्व स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है।

स्वायत्तता की सीमा

- जम्मू-कश्मीर अधिक केंद्रीय नियंत्रण और सीमित विधायी स्वतंत्रता के साथ काम करता है।
- पुडुचेरी को नियमित शासन मामलों में तुलनात्मक रूप से अधिक स्वायत्तता प्राप्त है।